समक्षः— न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क. /13 निगरानी 2228-I/13

रामकिशन पुत्र धूडीलाल नागर उम्र वर्ष जाति नायक
निवासी ग्राम दौलतपुरा परगना व जिला श्योपुर म.प्र.
----- आवेदक

बनाम

1. फल्लू पुत्र धूडिया मैना उम्र वर्ष निवासी ग्राम
कनापुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.
2. मध्य–प्रदेश शासन जर्ये अपर कलेक्टर
जिला श्योपुर म.प्र. ----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क. 69/10–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.04.2013

माननीय महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–2228–एक/2013 जिला– श्योपुर

रामकिशन विरूद्ध फल्लू व मध्यदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–श्योपुर प्रकरण क्रमांक 69/2010–11/स्व–निग. में पारित आदेश दिनांक 03–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17.5.19 सदस्य	